न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय किशनगढ

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 145/2017

सारदा देवी पत्नी गणेश रेबारी उम्र 30 साल निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।

–प्रार्थी

बनाम

लक्ष्मण पुत्र सूजा जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज. व अन्य।

–अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री इन्द्रेश कुमार
वकील अप्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर **दिनांक 03.06.2025**

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री इन्द्रेश कुमार ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया ग्राम बालापुरा, तहसील–किशनगढ, जिला–अजमेर की स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 735/365 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा किस्म तालाबी–2 में 1/14 हिस्से की सह खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रार्थना पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 प्रत्येक 1/14 हिस्से के एवं प्रार्थीया 1/14 हिस्से की सहखातेदार काबिज काश्तकार है। इस आशय का अंकन वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 9 के पूर्वाधिकारी उगमा पुत्र भूरा उपरोक्त भूमि में हिस्से 1/2 के सहखातेदार है। उपरोक्त उगमा पुत्र भूरा का देहावसान होकर अप्रार्थी संख्या 7 से 9 उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान है। मृतक व्यक्ति के विरूद्ध वाद अवधारणीय नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 7 से 9 को संयोजित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। संयुक्त विभाजित भूमि का विभाजन करवाया जाना हर सहखातेदार का विधिप्रदत्त अधिकार है। किन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीया महिला होने से प्रार्थीया को हैरान, परेशान करने की गरज में एवं प्रार्थीया के काश्त कार्यो में प्रार्थीया के उपरोक्त भूमि में अर्न्तनिहित हिस्से में काश्त में अनावश्यक व्यवधान करते है। प्रार्थीया अपने 1/14 हिस्सा अविभाजित होने के कारण उस पर सुधार विकास कार्य नहीं कर पा रही है। प्रार्थीया एवं उसके पति ने अप्रार्थी को मौखिक रूप से दिनांक 16.07.2017 को आग्रह किया कि जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार नींव–सींव से अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी उपरोक्त भूमि का सहमति से विभाजन करवाकर अलग–अलग खाता खसरा कायम करवा देवें। अप्रार्थीगण उदासीन होकर विभाजन में असहमत हो गये। इस कारण प्रार्थीया को यह प्रार्थना पत्र वास्ते विभाजन एवं स्वयं के हिस्से के बाबत् निषेधाज्ञा हेतु उत्पन्न होकर प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ तथा वाद के निपटारण तक अप्रार्थीगण के उपरोक्त उग्रोतर आचरण कारण अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संस्थन किया जाना आवश्यक हुआ। प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में है। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि में 1/14 हिस्से की सहखातेदार काबिज काश्तकार है प्रार्थीया को स्वयं के उपरोक्त भूमि में अर्न्तनिहित हिस्से में काश्त कार्य करने का विधिक अधिकार है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया को महिला होने के कारण उसके हिस्से की भूमि में काश्त कार्य करने में बाधा करते हैं एवं प्रार्थीया को उसके हिस्से की भूमि में सुधार विकास कार्य करने में बाधा करते है। अप्रार्थीगण उपरोक्त भूमि को खुर्द–बुर्द कर प्रार्थीया के हिस्से को क्षतिग्रस्त कर रहे है जिसका अप्रार्थीगण कोई विधिक अधिकार नहीं है। यदि अप्रार्थीगण को वाद गुणानुगुण निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह प्रार्थीया के हिस्से की उपरोक्त भूमि में प्रार्थीया के काश्त कार्यो में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें, तो अप्रार्थीगण को कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके विपरीत यदि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थीया को अपूर्तनीय क्षति होगी। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम बालापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरना की कृषि भूमि खसरा संख्या 735/365 रकबा 16

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

बाधा 14 बिस्वा किस्म तालाबी–2 में प्रार्थीया के 1/14 हिस्से की भूमि अप्रार्थीगण वाद गुणानुगुण निस्तारण तक प्रार्थीया के काश्त कार्यो में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें। प्रार्थीया के काश्त कार्यो में बाधा नहीं करें एवं प्रार्थीया को बलात बेदखल नहीं करें। प्रकरण परिस्थिति में अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय प्रार्थीया के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध पारित किया जाना उचित समझती हो की आदेश प्रार्थीया के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध पारित किये जाने की कृपा करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2017 को दर्ज कर अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी किये गये। दिनांक 23.07.2018 को अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर उपस्थित हुये तथा जवाब पेश किया जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि प्रार्थीया ने माननीय न्यायालय के समक्ष सद्भाविक रूप से वाद व प्रार्थना पत्र धारा 212 पेश नहीं किया गया है चुंकि उक्त आराजी का पूर्व में ही माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.07.2017 को वाद संख्या 128/2017 व प्रार्थना पत्र संख्या 127/2017 पेश कर रखा है प्रार्थीया सद्भाविक होती तो पूर्व वाद में ही अनुतोष विभाजन का चाहा गया है प्राप्त कर सकती थी। इस लिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 10 सी०पी०सी० के तहत stay of suit होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वतः ही खारिज होने योग्य है। एवं प्रार्थीया तथ्य छिपाकर माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है जबकि स्वयं प्रार्थीया को माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में ही स्थगन आदेश से पाबन्द किया गया है। प्रार्थीया को पूर्ण संज्ञान होने के कारण प्रार्थीया के विरूद्ध धारा 340 के तहत प्रसंज्ञान लिया जाना आवश्यक है। धारा 10 सी०पी०सी० के तहत यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में अवधारणिय नहीं है समान विषय वस्तु समान पक्षकार होने के कारण प्रार्थना पत्र को स्टे किया जाना आवश्यक है। कारण की उक्त आराजी से सम्बन्धित पूर्व में ही विभाजन का वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है वादीया/प्रार्थीया उसमें पक्षकार भी है फिर भी नया वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अनुतोषदायी नहीं है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 के कथन इस अंश तक स्वीकार है कि जवाबकर्तागण प्रत्येक का 1/14 हिस्सा है एवं काबिज काश्त करते आ रहे है। शेष कथन साक्ष्य से सिद्ध होना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 3 के कथन गलत है अस्वीकार है। वादीया स्वयं जवाबकर्तागण के हिस्से में कृषकिय कार्य में व्यवधान कारित करने से पूर्व प्रार्थना पत्र जो जवाबकर्तागण द्वारा पेश किया गया है उसमें प्रार्थीया को पाबन्द किया गया है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 4 के कथन स्वीकार है अपने हिस्से का विभाजन अच्छी से अच्छी एंव बुरी से बुरी के आधार पर विभाजन करवाने के लिये स्वतंत्र है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 5 के कथन गलत है प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध नहीं है चूंकि पूर्व में प्रार्थीया के विरूद्ध दावा व प्रार्थना पत्र पेश हो चुका है एंव प्रार्थीया को पाबन्द किया जा चुका है। एवं प्रार्थीया ने माननीय न्यायालय से तथ्य छुपाकर स्थगन प्राप्त किया है। इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विधिक रूप से चलने योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

दिनांक 13.01.2025 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण दिनांक 13.01.2025 को अप्रार्थी संख्या 07 से 09 का जवाब बन्द कर दिया गया तथा दिनांक 15.04.2025 को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अतः वकील उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम बालापुरा स्थित भूमि खसरा संख्या 735/365 में उभयपक्ष को एक दूसरे के कब्जे काश्त, कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करने एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखने के लिये मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 3/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निशा सहारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)